हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्या:पीसीएच–एचबी(1)10/2017–प्रियू– शिमला–171009 दिनांक 23 जुलाई, 2019.

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों को डिजाईन, निष्पादित तथा आवश्यक ढ़ाचागत सुविधाओं के रख–रखाव तथा हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के समग्र विकास हेतु राज्य स्तर पर सचिव पंचायती राज, जिला स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् तथा खण्ड स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति के सम्पूर्ण पर्यावेक्षण और नियन्त्रण में पंचायती राज तकनीकी विंग को सहर्ष गठित करते है।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज तकनीकी विंग को गठित तथा कार्यान्वित करने के लिए सहर्ष निम्नलिखित दिशानिर्देश भी जारी करते हैं:–

1. तकनीकी कर्मचारियों के समस्त श्रेणियों के पद जैसेकि अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, डिजायन अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, तकनीकी सहायक और प्रारूपकार जिला परिषद में सृजित किए जाएंगे तथा लोक निर्माण और सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभागों के समकक्ष समस्त पद जो ग्रामीण विकास विभाग में सृजित है, तुरन्त प्रभाव से समाप्त होंगे।

2. सम्बन्धित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला स्तरीय तकनीकी कर्मचारियों के नियोक्ता प्राधिकारी तथा प्रशासनिक प्राधिकारी होगें। मण्डल स्तरीय अधिशासी अभियन्ता, जिला परिषद, उसके क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले तकनीकी विंग के कर्मचारियों के तकनीकी मुख्या होगें।

3. मण्डल स्तरीय अधिशासी अभियन्ताओं के पद मण्डल मुख्यालय की जिला परिषदों अर्थात शिमला, मण्डी तथा कांगड़ा में सृजित किए जाएगें।

4. सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति जिला स्तर पर होगी तथा वे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के सम्पूर्ण नियन्त्रण और पर्यावेक्षण में कार्य करेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सहायक अभियन्ताओं के दैनिक कार्यों की रिपोर्ट लेगा तथा वह जिला स्तर पर जिला परिषद कार्यालय या उप निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय (जहां भी स्थान उपलब्ध हो) में उनके बैठने की व्यवस्था करेगा। सहायक अभियन्ताओं को विकास कार्यों के निष्पादन के लिए विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (क्षेत्रों) का प्रभारी बनाया जाएगा तथा उसका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (क्षेत्रों) के अन्दर सांसद क्षेत्र विकास निधि, विधायक क्षेत्र विकास निधि, विकेन्द्रीकृत योजना तथा सरकार द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों को कार्यान्वित करवाने का उत्तरदायित्व होगा जिसके लिए 6 प्रतिशत फुटकर राशि उक्त योजनाओं में से कटौती की जाएगी। अन्य विभागों द्वारा पंचायती राज तकनीकी विंग को सौंपे गए कार्यों के कार्यान्वयन हेतु भी 6 प्रतिशत फुटकर राशि की कटौती की जाएगी। उपरोक्त के अतिरिक्त ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के समस्त कार्यों जैसेकि लोक भवनों, जिला तथा खण्ड पंचायती राज संसाधन केन्द्रों और पंचायत घरों को कार्यान्वित करने का दायित्व भी सहायक अभियन्ताओं का होगा जिसके लिए किसी भी प्रकार का फुटकर व्यय नहीं काटा जाएगा। यदि किसी योजना में फुटकर व्यय काटने का प्रावधान हो तो उस अवस्था में योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप फुटकर व्यय काटा जा सकता है।

5. अधिशासी तथा सहायक अभियन्ताओं का स्थानान्तरण माननीय प्रभारी मन्त्री महोदय के अनुमोदन के उपरान्त राज्य के भीतर किया जा सकेगा जबकि कनिष्ठ अभियन्ताओं तथा तकनीकी सहायकों का प्रभारी मन्त्री के अनुमोदन से जिले के भीतर स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

6. तकनीकी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूचियों को राज्य स्तर पर निदेशक पंचायती राज द्वारा जिलों से प्राप्त सूचियों के आधार पर अन्तिम रूप दिया जाएगा।

7. पंचायत समिति स्तर पर प्रतिनियुक्त कर्मचारियों का सम्पूर्ण नियन्त्रण मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति एवं खण्ड विकास अधिकारी के पास होगा जबकि जिला स्तर पर नियुक्त कर्मचारियों का नियन्त्रण मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के पास होगा। यद्यपि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद आदेश द्वारा कुछ हद तक जिला स्तरीय उक्त कर्मचारियों का दैनिक नियन्त्रण सचिव जिला जिला परिषद को सौंप सकेगा।

8. वर्तमान में नियुक्त खण्ड अभियन्ताओं को डिजायन अभियन्ताओं के पद पर नियमित किया जाएगा जिसके लिए उन्हें लिखित में सहमति प्रदान करनी होगी तथा उन्हें सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति हेतु अलग से 10 प्रतिशत कोटा वरिष्ठता के आधार पर इस शर्त पर प्रदान किया जाएगा कि उन्हें विभाग के विरूद्व प्रशासनिक प्राधिकरण और अन्य न्यायलयों में चल रहे सेवा सम्बन्धी सभी मामलों को वापिस लेना होगा ताकि भविष्य में माननीय न्यायालय की अवमानना का प्रश्न उत्पन्न न हो। खण्ड अभियन्ताओं के डिजाइन अभियन्ता पदनामित होने के फलस्वरूप रिक्त होने वाले खण्ड अभियन्ताओं के पद स्वतः ही समाप्त होंगे।

9. तकनीकी सहायकों के कम से कम 50 प्रतिशत कार्यों का टेस्ट चैक कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा किया जाएगा। सहायक अभियन्ता, तकनीकी सहायकों तथा कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा किए जा रहे कार्यों का समय–समय पर निरीक्षण करेगें। सहायक अभियन्ता ऐसे कार्यों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करेगें जिनकी लागत 5.00 लाख से अधिक है। तकनीकी सहायकों के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यों के कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण स्तरों जैसेकि नीव खोदने व तैयार करने, लेन्टर डालने तथा छत डालने इत्यादि के समय कनिष्ठ अभियन्ता मौका निरीक्षण करेगें।

10. तकनीकी सहायकों द्वारा मु0 3.00 लाख तक की लागत के तैयार किए गए प्राकलनों को कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा अनुमोदित किया जाएगा जबकि 3.00 लाख से ऊपर के कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा तैयार किए गए प्राकलनों का अनुमोदन यथास्थिति सहायक अभियन्ताओं या अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा किया जाएगा।

11. तकनीकी सहायकों द्वारा मु0 3.00 लाख तक की लागत के कार्यों के आंकलन का इन्द्राज तथा तैयार किए गए बिलों को कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा पारित किया जाएगा और कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा 3.00 लाख से ऊपर के कार्यों के आंकलन तथा बिलों को यथास्थिति सहायक अभियन्ताओं या अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा पारित किया जाएगा। सम्बन्धित आहरण और वितरण अधिकारी अन्तिम किश्त सहित अन्य किश्तों को प्राधिकृत तकनीकी अधिकारियों की सिफारिशों और कार्यों के बिल प्राप्त होने के पश्चात् ही जारी करेगा। कनिष्ठ अभियन्ता उसके अधीन कार्यरत तकनीकी सहायकों के तकनीकी नियन्त्रण प्राधिकारी होंगे। सहायक अभियन्ता उसके अधीन कार्यरत सभी कनिष्ठ अभियन्ताओं तथा तकनीकी सहायकों के तकनीकी नियन्त्रण प्राधिकारी होगें जबकि अधिशासी अभियन्ता उनके अधीन कार्यरत समस्त तकनीकी कर्मचारियों के तकनीकी नियन्त्रण प्राधिकारी होगें।

12. राज्य सरकार, पंचायती राज तकनीकी विंग, को सुचारू एवं प्रभावी ढ़ग से चलाने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर करने के लिए इस अधिसूचना की राजपत्रा में प्रकाशित होने के पश्चात् समय–समय पर दिशानिर्देश, स्पष्टीकरण और हिदायतें जारी कर सकेगी।

आदेश द्वारा
सचिव(पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

4457/-618
23 जुलाई

पृष्ठांकन संख्याः पीसीएच–एचबी(1)10/2017–प्रियू– शिमला–171009 दिनांक जून,19.
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आश्यक कार्रवाई हेतुः–

1. सचिव(सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार को उनके मन्त्री मण्डल के निर्णय दिनांक 6.3.2019 की अनुपालन में सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ।
3. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ।
4. सयुक्त सचिव एवं अतिरिक्त निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं अतिरिक्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. समस्त मण्डलीय अधिशासी अभियन्ता(विकास) शिमला, मण्डी व कांगड़ा को सचूनार्थ।
7. समस्त सचिव जिला परिषद एवं जिला पंचायत अधिकारी, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति एवं खण्ड विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
9. नियन्त्रक, लेखा एवं सामग्री विभाग को ई–गजट में प्रकाशन हेतु।

(सुरेन्द्र माल्टू)
संयुक्त सचिव(पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।